तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जाज कस्तूरीदेवी बनाम बृजमोहन मु० नं० विविध 13/2023
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रति सं० 1, 2 व 4 से 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत हो चुका है, जिसकी वादी वकील को नकल डिलवाई जा चुकी है। प्रति० सं० 3, 7, 8, 9 व 10 बाद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे हैं लिहाजा 3, 7, 8, 9 व 10 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रा० वास्ते बहस व निर्णय हेतु दिनांक 13-05-2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)
13/05/24	पत्रा० पेश हुई। उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 20-05-2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)
20/5/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा गया जो शामिल मिसल है, TDR बसवा को पृथक से पत्र भेजकर निर्णय प्रति प्रेषित कर, निर्णय पालना हेतु निर्देशित किया जावे, पत्रावली बाद तकमील मुरत्तब होकर दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या 13/2023
प्रकरण रज्जु दिनांक : 6.4.2023
निर्णय दिनांक 20.5.2024

प्रकरण :— वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

प्रकरण का उनवान

कस्तूरी देवी पत्नी बनवारीलाल जाति गुर्जर निवासी नली का बास, मेहतानी तहसील—बसवा

(प्रार्थी)

बनाम

1.बृजमोहन पुत्र फूलचंद
2.हरिनारायण पुत्र रामसहाय
3.जानकी पत्नी फूलचंद
4.कजोडमल पुत्र जगन्नाथ
5.श्रवण पुत्र जगन्नाथ
6.कैलाश पुत्र जगन्नाथ
7.खेमचंद दत्तक पुत्र चिरंजीलाल
8.मोहनलाल पुत्र सोहनलाल
9.रामेश्वर प्रसाद पुत्र सोहनलाल
10.हरसहाय पुत्र सोहनलाल
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी बेदाली की ढाणी, बसवा तह.बसवा
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

(अप्रार्थीगण)

—: निर्णय :—

दिनांक :— 20.5.2024

उपस्थिति :—1. प्रार्थी की ओर से एडवाकेट श्री अमरसिंह गुर्जर
2. अप्रार्थीगण सं. 1,2,4, 5, 6 की ओर से एडवोकेट श्री ऋषिराज शर्मा
3. अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 से 10 के विरूद्ध एक्स पार्टे

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थिया की ग्राम झरवालों की ढाणी तहसील बसवा के खाता संख्या 103 खसरा नंबर 2131/10092 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नंबर 2164/1009 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि की प्रार्थिया खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 2137, 2138, 2164, 2131 प्रार्थिया के खसरा नंबरान के लगते हुए खसरा नंबर हैं, जिससे प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के मध्य तनाजा होता रहता है । दिनांक 3.4.2023 को प्रार्थिया तब कि अपनी भूमि पर थी तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आये और एकराय होकर कहने लगे कि वे प्रार्थिया की भूमि को लेकर रहेगें । जबकि प्रार्थिया उक्त खातेदारी भूमि ग्राम झरवालों की ढाणी तह.बसवा के खाता संख्या 103 खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested

2131/10091 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नंबर 2164/10092 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि का दिनांक 3.6.2022 को सीमाज्ञान किया जा चुका है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 103 पुराना 101 के खसरा नंबर 2131/10091 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नंबर 2164/10092 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि ग्राम झरवालों की ढाणी, तहसील बसवा का पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने बाबत तहसीलदार बसवा को आदेश प्रदान किये जावें ।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये ।

अप्रार्थीगण संख्या अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 से 10 के विरूद्ध बाद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री ऋषिराज शर्मा द्वारा उपस्थिति प्रदान की । अप्रार्थीगण सं. 1,2,4, 5, 6 की ओर से जवाब 128 प्रा.पत्र का पेश किया जिसके मुताबिक प्रार्थीगण एवं प्रार्थी पडोसी काश्तकार होना स्वीकार है दोनों के मध्य मौके पर खाम डोली/मेड बनी हुई है जो आज दिन तक मौके पर मौजूद है । जो सीमाचिन्ह को इंगित करती है । दिनांक 3.6.2022 को जो सीमाज्ञान करवाया है वह अप्रार्थीगणों की अनुपस्थिति में गुपचुप तरीके से करवाया है, जिसमें अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदार की भूमि खसरा नंबर 2137 रकबा 0.27 हैक्टयर, 2138 रकबा 0.28 हैक्टयर, 2164 रकबा 0.24 हैक्टयर, 2131 रकबा 0.18 हैक्टयर प्रार्थिया के काश्त के लगते हुए पश्चिमी दिशा में स्थित हैं, प्रार्थिया ने दिनांक 3.6.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगणों की खाम डोली सहित 2–3 फीट पश्चिमी दिशा की ओर बढाकर सीमा चिन्ह राजस्व हलका पटवारी द्वारा दर्शित किये गये जो राजस्व रिकोर्ड एवं मौके के विरूद्ध जाकर दर्शित किया गया है, जो कानूनन गलत है । प्रार्थिया द्वारा कथित दिनांक 3.4.2023 को अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर मेड को दबाकर पत्थरगढी करने का बलात प्रयास किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया का विरोध किया कि तुम हमारी भूमि को दबाकर पीलर लगा रहे हो जबकि तुम्हारी भूमि अलवर–गंगापुर स्टेट मेघा हाइवे में चली गई है जो भूमि मेघा हाइवे में गई है उसकी तरमीम नहीं हुई है इस कारण प्रार्थिया की भूमि वर्तमान में भी 0.16 हैक्टयर ही दर्ज है । प्रार्थिया ने विधि विरूद्ध तरीके से अपने रकबा 0.16 हैक्टयर की पूर्ति करने के लिये गलत सीमाज्ञान के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि को दबाते हुए पीलर लगाने का प्रयास किया अप्रार्थीगण ने कहा कि हम सभी की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाये जावें । अप्रार्थीगणों उपर्युक्त के द्वारा उनके जवाब में यह भी अंकित किया है कि उनवानी प्रकरण कजोड मल बनाम कस्तूरी देवी वगैरह में स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती आराजी खसरा नंबर 2136, 2148 व अन्य खसरा नंबरों का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 2.2.2024 को वादग्रस्त खसरा नंबर 2136, 2138 के मौके एवं रिकोर्ड में यथासिथति बनाये रखने के लिये प्रार्थिया कस्तूरी देवी को जरिये अस्थाई आदेश पाबंद किया हुआ है । लिहाजा जब तक उक्त वाद निर्णित नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण अर्थात् पत्थरगढी प्रकरण को स्थगित रखा जावे ।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । प्रार्थी पक्ष के द्वारा अपनी बहस में इन तथ्यों को न्यायालय के सम्मुख रखा गया कि प्रार्थिया द्वारा जो प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी पेश किया है, वह विधिसम्मत व न्यायोचित है, लिहाजा पत्थरगढी करने के आदेश प्रसारित किये जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीपक्ष द्वारा न्यायालय हाजा के सम्मुख दौराने बहस अपना पक्ष मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं को रखते हुए, पत्थरगढी के आदेश जारी करने के विरूद्ध अपना पक्ष रखा :–

1. यह कि प्रार्थिया द्वारा जो सीमाज्ञान करवाया है वह अप्रार्थीगणों की अनुपस्थिति में करवाया है, इस कारण पूर्ववर्ती 3.6.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है ।

2. प्रकरण कजोड मल बनाम कस्तूरी देवी वगैरह में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र में दिनांक 2.2.2024 को वादग्रस्त खसरा नंबर 2136, 2138 के मौके एवं रिकोर्ड की यथासिथति बनाये रखने के लिये प्रार्थिया कस्तूरी देवी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है । लिहाजा जब तक उक्त वाद निर्णित नहीं हो जाता है तव तक इस प्रकरण अर्थात् पत्थरगढी प्रकरण को स्थगित रखा जावे ।

3. अप्रार्थीगणों की खाम डोली सहित 2–3 फीट पश्चिमी दिशा की ओर बढाकर सीमा चिन्ह राजस्व हलका पटवारी द्वारा दर्शित किये गये जो राजस्व रिकोर्ड एवं मौके के विरूद्ध जाकर दर्शित किया गया है, जो कानूनन गलत है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । मुताबिक सीमाज्ञान मौकापर्चा दिनांक 3.6.2022 ग्राम झरवालों की ढाणी, जिसे की गिरदावर बसवा व पटवारी बसवा ए द्वारा मौके पर तैयार किया गया है । उसमें अंकन किया है कि "आज दिनांक 3.5.2022 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश कमांक भू.अ. /2022/5503–05 दिनांक 22.4.2022 की पालना में वाके ग्राम झरवालों की ढाणी आ.ख. नं. 2131/10091, 2164/10092 किता 2 के मय रिकोर्ड मौके पर पहुँची, मौके पर आवेदनकर्ता उपस्थित मिले । मौके पर उक्त खसरा नंबर का सीमाज्ञान मुस्तकिल बिन्दु आराजी खसरा नंबर 2139, 2162 व 2161 का तिमेडा व 2163, 2164 व 2176 का तिमेडा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर व मेघाहाइवे का मध्य बिन्दु को मुस्लकित बिन्दु मानकर आराजी ख.नं. 2131/10091 व 2164/10092 का सीमाज्ञान कर चारों कोने पर निशानात लगवाये । व चारों कोनों पर लगाये निशानात को आवेदनकर्ता को अवगत करवाया । मौका पर्चा पढकर सुनाया गया तथा हस्ताक्षर करवाये गये । एवं पडौसी खातेदारों ने हस्ताक्षर करने से मना किया । "

प्रकरण में बहस व जवाब में अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत दो आपत्तियां यथा– प्रकरण कजोड मल बनाम कस्तूरी देवी वगैरह में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र में दिनांक 2.2. 2024 को वादग्रस्त खसरा नंबर 2136, 2138 के मौके एवं रिकोर्ड की यथासिथति बनाये रखने के लिये प्रार्थिया कस्तूरी देवी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है । लिहाजा जब तक उक्त वाद निर्णित नहीं हो जाता है तव तक इस प्रकरण अर्थात् पत्थरगढी प्रकरण को स्थगित रखा जावे एवं द्वितीय अप्रार्थीगणों की खाम डोली सहित 2–3 फीट पश्चिमी दिशा की ओर बढाकर सीमा चिन्ह राजस्व हलका पटवारी द्वारा दर्शित किये गये जो राजस्व रिकोर्ड एवं मौके के विरूद्ध जाकर दर्शित किया गया है, जो कानूनन गलत है । अतः पत्थरगढी नहीं की जावे ।

इन दोनों बिन्दुओं को इस प्रकार निस्तारित किया जाता है कि प्रथम तो बिन्दु है उनका संबंध खसरा नंबर 2136, 2138 से है, जबकि यह प्रकरण खसरा नंबर 2131/10091 व 2164/10092 ग्राम झरवालों की ढाणी से संबंधित है, खसरा नंबर अलग–अलग होने से बिन्दु खारिज किया जाता है इसी प्रकार जो कथन प्रार्थिया द्वारा 2–3 फीट पश्चिम में भूमि को कवर करते हुए सीमाज्ञान करने के संबंध में उज्रात प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने से, यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:36:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
बसवा (दौसा)

किंतु अप्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थिया द्वारा जो सीमाज्ञान करवाया है वह अप्रार्थीगणों की अनुपस्थिति में करवाया है, इस कारण पूर्ववर्ती 3.6.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है, जो स्वीकार्य एवं ग्राह्य होने से स्वीकार किया जाता, इस विन्दु सहित ही आदेश प्रसारित किये जाते हैं ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा खसरा नंबर 2131/10091 व 2164/10092 ग्राम झरवालों की ढाणी कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, इस हेतु तहसीलदार बसवा को इस निर्देश से भी पाबंद किया जाता है कि जिस दिनांक व समय को सीमाज्ञान व पत्थरगढी तारीख निश्चित की जावे, उस निर्धारित तारीख से कम से कम 3 दिवस पूर्व इस प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6 को जरिये नोटिस अवगत कराया जावे कि वे निर्धारित तारीख व समय को पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित रहे । एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला–दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested